कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी–ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल–462003

क्रमांक / एफ–3 / 16 / 2018 / 10–11 / 5201 भोपाल, दिनांक 9/10/2024

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः–जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अन्तर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे0 वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत् । (FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली के पत्र क्रं. 8-16/2023-FC, दि. 17.09.2024 एवं दि. 08.03.2024

––0––

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। परियोजना के संबंध में भारत सरकार नई दिल्ली में आयोजित सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 27.08.2024 मे सलाहाकार समिति द्वारा प्रकरण में वन्य प्राणी अनुमति प्राप्त करने एवं वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए आवेदक विभाग को सहयोग प्रदान करने पर सुझाव दिये गये।

उपरोक्तानुसार प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा अपने पत्र क्रमांक 8072, दिनांक 12.09.2024 (छायाप्रति संलग्न है।) से भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने एवं पत्र क्रमांक 8070, दिनांक 12.09.2024 (छायाप्रति संलग्न है।) से राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रकरण में अभिमत प्रदाय करने हेतु अनुरोध किया है। परियोजना में वन्यप्राणी स्वीकृति हेतु आवेदक संस्था द्वारा ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक WL/MP/IRRIG/452403/2023 से आवेदन किया है।

प्रकरण यह भी लेख है, कि राष्ट्रीय बाद्य संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), NBWL/SBWL की सिफारिश / अभिमत एवं मिटिगेशन मेजर्स रिपोर्ट प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात् प्रस्तुत कर दी जावेंगी।

अतः प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा किये गये उक्त अनुरोध की प्रत्याशा में अनुरोध है, कि भारत सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

09.10.24

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3 (Part-iii).docx

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्य प्रदेश

भू–तल, सी–ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड़ नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल–462003

दूरभाष : 0755–2674248, 2524275, फैक्स : 0755–2674206 E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / व.प्रा. / वतअ.–1 / WL/LM-22 / 8070 भोपाल, दिनांक 12-9-2024

प्रति,

सदस्य सचिव,
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार,
बी–1 विंग, सातवां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषय :– **जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अंतर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत्।**

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल की टीप क्रमांक / 166 दिनांक 29.02.2024 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / व.प्रा. / वतअ.–1 / LM-2 / 2487 दिनांक 21.03.2024 तथा क्रमांक / व.प्रा. / वतअ.–1 / WL/LM-22 / 2977 दिनांक 15.04.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित टीप से जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अंतर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने संबंधी पोर्टल पर वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ऑनलाईन प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक FP/MP/IRRIG/36531/2018 तथा प्रभावित वनक्षेत्र की वन्यप्राणी स्वीकृत हेतु प्रकरण क्रमांक WL/MP/IRRIG/452403/2023 प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रकरण में प्रस्तावित 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रकरण के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एफ.सी. डिविजन) नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 27.11.2023 के बिन्दु क्रमांक–iii एवं पत्र दिनांक 16.02.2024 के बिन्दु क्रमांक–iii में प्रस्तावित क्षेत्र सतपुड़ा मेलघाट टाइगर कॉरीडोर के अंतर्गत होने से राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली का अभिमत चाहा गया है। इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 21.03.2024 एवं 15.04.2023 से भारत सरकार के उक्त पत्रों की छायाप्रतियां प्रेषित करते हुए प्रकरण में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का अभिमत उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, जो आपसे आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.11.2023 एवं 16.02.2024 के बिन्दु क्रमांक–iii के संबंध में अभिमत प्रेषित करने का पुनः अनुरोध है, ताकि तदानुसार अभिमत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एफ.सी. डिविजन) नई दिल्ली को प्रेषित किया जा सके।

12/9/2024

(व्ही.एन. अम्बाड़े)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र.

पृ. क्रमांक / व.प्रा. / वतअ.–1 / WL/LM-22 / 8071 भोपाल, दिनांक 12-9-2024

प्रतिलिपिः–

1. सहायक वन महानिदेशक, एफ.सी. डिविजन, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज नई दिल्ली–110003 की ओर उनके पत्र दिनांक 27.11.2023 एवं 16.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर संदर्भित टीप के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/9/2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्या. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल
आवक क्रं. 2146
दिनांक 13/9/24

D:\DM Sec\DM Letter-2024.docx

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्य प्रदेश

भू–तल, सी–ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड़ नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल–462003

दूरभाष : 0755–2674248, 2524275, फैक्स : 0755–2674206 E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / व.प्रा. / वतअ.–1 / WL/LM-22 / 8072 भोपाल, दिनांक 12-9-2024

प्रति,

निदेशक,
भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बाक्स #18, चन्द्रबनी,
देहरादून–248001

विषय :– जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अंतर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल की टीप क्रमांक / 166 दिनांक 29.02.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित टीप से जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अंतर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने संबंधी पोर्टल पर वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ऑनलाईन प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक FP/MP/IRRIG/36531/2018 तथा प्रभावित वनक्षेत्र की वन्यप्राणी स्वीकृत हेतु प्रकरण क्रमांक WL/MP/IRRIG/452403/2023 प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रकरण में प्रस्तावित 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रकरण के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एफ.सी. डिविजन) नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 27.11.2023 के बिन्दु क्रमांक–ii एवं पत्र दिनांक 16.02.2024 के बिन्दु क्रमांक–ii में आपके कार्यालय से परियोजना से पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में प्रतिवेदन पर मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र. का अभिमत चाहा गया है। भारत सरकार के उक्त पत्रों की छायाप्रति प्रेषित संलग्न प्रेषित करते हुए प्रकरण में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून का प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

12/9/2024

(व्ही.एन. अम्बाड़े)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र.

पृ. क्रमांक / व.प्रा. / वतअ.–1 / WL/LM-22 / 8073 भोपाल, दिनांक 12-9-2024

प्रतिलिपिः–

1. सहायक वन महानिदेशक, एफ.सी. डिविजन, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज नई दिल्ली–110003 की ओर उनके पत्र दिनांक 27.11.2023 एवं 16.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर संदर्भित टीप के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/9/2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल
आवक क्र. 2147
दिनांक 13/9/24

D:\DM Sec\DM Letter-2024.docx